

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक प. 25(15)आयु./2001 पार्ट II

जयपुर, दिनांक :


आदेश

09 JUL 2019

वर्तमान में राज्य में आयुर्वेद औषध निर्माण हेतु अनुज्ञाधारी संस्थाएं अधिक हैं, जिनका भौगोलिक क्षेत्र वृहद् होने से नियमित, विस्तृत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं हो पा रहा है। विभागान्तर्गत औषध निरीक्षकों के पदों का कम होना भी इसका एक मुख्य कारण है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति के मध्यनजर, नियमित पदों की वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी सेवानियमों में प्रावधान होने तक, ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 (1940 का अधिनियम 23) की धारा 33 जी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समस्त जिलों में आयुर्वेद विभागान्तर्गत स्वीकृत सहायक निदेशक, आयुर्वेद विभाग को उनके जिले के क्षेत्राधिकार में पदेन औषध निरीक्षक नियुक्त करती है।


आज्ञा से,


(एच.एम. डेका) 917

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
6. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
10. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को आवश्यक कार्यवाही एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
11. निदेशक, होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है (राज-ई गजट मॉड्यूल अन्तर्गत ऑनलाईन कर से पृथक से प्रेषित किया जा रहा है)।
13. रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
14. प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
15. औषधि नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
16. सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेद विभाग जयपुर।
17. समस्त सहायक निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान।


(बाबू लाल मीना)
सहायक शासन सचिव